न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 102/2017

1. जसराम पुत्र श्यामा पुत्र पन्ना जाति नायक निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्रो पुत्री श्यामा पत्नी रामलाल जाति नायक निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. शांति पुत्री श्यामा पत्नी नत्थूराम
4. लाधुराम पुत्र पृथ्वी उर्फ पीथा पुत्र श्यामा
5. सुखराम पुत्र पृथ्वी उर्फ पीथा पुत्र श्यामा
6. बिमला पत्नी जीवन पुत्र श्यामा
7. सोहनलाल पुत्र जीवन
8. कौशल्या पुत्री काशीराम पुत्र श्यामा
9. मुन्नीदेवी पत्नी काशीराम
10. भीमसैन पुत्री काशीराम

जाति नायक निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

11. सरोज पुत्री काशीराम पत्नी पूर्णराम निवासी राईयावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

— अपीलार्थीगण

बनाम

1. हरीराम पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल निवासी 5 ई छोटी मकान नं. 123 रामदेवी कॉलोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कलो पुत्री रामचन्द पत्नी गोपीराम जाति नायक निवासी बांडा कॉलोनी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. लिच्छो पुत्री रामचन्द पत्नी बलराम जाति नायक निवासी बांडा कॉलोनी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. चिमन पुत्र रामचन्द जाति नायक निवासी गली नम्बर 2 चक 3 ई छोटी 100फुट रोड़ तहसील व जिला श्रीगांगनर ।

28/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

5. विध्या पुत्री रामचन्द पत्नी सुरेश जाति नायक निवासी वार्ड नं. 7 गली नम्बर 8ए चक 3 ई छोटी 100 फुट रोड तहसील व जिला श्रीगंगनर।
6. गुड्डी पुत्री जीवनराम पत्नी देवप्रकाश जाति नायक निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. सावित्री पुत्री रामचन्द्र पत्नी मोडूराम जाति नायक निवासी गली नं. 1 चक 3 ई छोटी 100 फुट रोड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. मुखराम पुत्र श्योकरण जाति मेघवाल निवासी चक 4 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 24.07.2017

उपस्थितिः—

श्री मनोहर लाल सहारण अभिभाषक अपीलार्थी

श्री गुरविन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पों. संख्या 1

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53, 188 का श्यामा के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश किया। प्रतिवादी सं0 8 ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 8 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि श्यामा पुत्र पन्ना को जीवों के आधार पर भारत सरकार द्वारा 35.14 बीघा भूमि दिनाक 26.06.1954 को आवंटन हुई थी। उक्त भूमि में फूसाराम, गंगाराम, लाली, जीवनी, जीवनराम, सरबाई, काशीराम, जसराम, महेन्द्र को भूमि आवंटन हुई थी जिसकी सनद भी बनी एवं इन्तकाल भी स्वीकृत हुआ था। प्रतिवादी संख्या 8 ने फूसाराम से 2.276 है0 में से 1/2 हिस्सा

28/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

में से 1.012 है0 यानि 4 बीघा भूमि दिनांक 10.6.2013 को जरिये बैयनामा खरीद की एवं खरीद के दिन से ही कब्जा चला आ रहा है। पंजीकृत बैयनामा को किसी भी सिविल न्यायालय में खारिज नहीं करवाया है। इसलिए पंजीकृत बैयनामा के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में वाद नहीं चल सकता। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज किया जावे।

वादीगण ने प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवदन किया। अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 24.07.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद वादीगण खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर ली थी एवं अधी. न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर वाद का निर्णय तनकी वाईज करना चाहिए था। किन्तु अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद को खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर गुणावगुण के आधार पर वाद का निर्णय करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. सं. 1 ने विवादित भूमि जरिये बैयनामा कय की है। बैयनामा को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया है। बैयनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

28/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 24.07.2017 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रतिवादी रेस्पों. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करते हुए दावा खारिज किया है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की Bare reading है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जानाः– वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर किया जाएगाः–
(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता। (ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है , ऐसा करने में असफल रहता है। (ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है। ऐसा करने में असफल रहता है। (घ) जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

विवादित भूमि प्रतिवादी/रेस्पो. सं. 1 द्वारा जरिये बैयनामा से कय की है जिससे वादीगण/अपीलांट द्वारा इन्कार नहीं किया है और न ही उक्त बैयनामा को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त कराया जाना नहीं पाया जाता। उपरोक्त विवादित भूमि जरिये बैयनामा हस्तांतरित हो चुकी है जिसे decredit करने की शक्तियां सक्षम सिविल न्यायालय में निहित है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही अधी. न्यायालय ने रेस्पों. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर